प्रेषक,

निदेशक
माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड
देहरादून।

सेवा में,

**1. समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारी,
उत्तराखण्ड।**
**2. समस्त खण्ड शिक्षा अधिकारी
उत्तराखण्ड। (द्वारा मु0शि0अ0)**

पत्रांक / सेवा–2 / 20833-34 / OPS-2005 / 2023–24 दिनांक 06 अक्टूबर, 2023

विषयः– **01 अक्टूबर, 2005 से पूर्व जारी विज्ञप्ति के सापेक्ष चयनित प्रवक्ता / सहायक अध्यापक (एल0टी0) संवर्ग के अध्यापक / अध्यापिकाओं की सूचना विषयक।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त अनुभाग–10, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून की ई–पत्रावली संख्या–27057 / 2023 दिनांक 02 अगस्त, 2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा दिनांक 01 अक्टूबर, 2005 से पूर्व जारी विज्ञप्ति से चयनित कार्मिकों को पुरानी पेंशन योजना में सम्मिलित किये जाने के सम्बन्ध में विभागों से श्रेणीवार सुस्पष्ट सूचना उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये हैं। इस सम्बन्ध में जनपदों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना त्रुटिपूर्ण व अस्पष्ट होने के कारण शासन स्तर से आपत्ति दर्ज की गई है।

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि दिनांक 01 अक्टूबर, 2005 से पूर्व जारी विज्ञप्ति के आधार पर चयनित राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत ऐसे प्रवक्ता / सहायक अध्यापक(एल0टी0) जो वर्तमान में पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित नहीं के सम्बन्ध में विद्यालयी शिक्षा विभाग की वेबसाईट (schooleducation.uk.gov.in) पर उपलब्ध प्रारूप–01(प्रवक्ता हेतु), प्रारूप–02 (सहायक अध्यापक–एल0टी0 हेतु) एवं प्रारूप–03 (मृतक आश्रित कोटे के अन्तर्गत नियुक्त शिक्षक हेतु) पर अपना सुस्पष्ट विवरण पूर्णरूप से अंकित कर समस्त साक्ष्यों सहित प्रधानाचार्य के माध्यम से सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में दिनांक 15 अक्टूबर, 2023 तक जमा किये जाने हेतु प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई है।

अतः समस्त खण्ड शिक्षा अधिकारी अपने विकासखण्ड की समस्त सूचना निर्धारित प्रारूप पर संकलित कर मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय में हार्ड एवं साफ्ट कॉपी में जमा करायेंगे। इसी प्रकार मुख्य शिक्षा अधिकारी द्वारा जनपद स्तर की सूचना निर्धारित प्रारूप पर संकलित कर हार्ड एवं साफ्ट कॉपी में प्रवक्ता संवर्ग की सूचना निदेशालय, माध्यमिक शिक्षा एवं सहायक अध्यापक (एल0टी0) की सूचना सम्बन्धित मण्डलीय अपर निदेशक (मा0शि0) कार्यालय को उपलब्ध करायेंगे। सम्बन्धित मण्डलीय अपर निदेशक (मा0शि0) द्वारा अपने मण्डल की सूचना निर्धारित प्रारूप पर संकलित कर निदेशालय माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून को उपलब्ध करायी जायेगी।

सूचना सुस्पष्ट एवं सही / सत्य हो इस हेतु समस्त प्रधानाचार्य / खण्ड शिक्षा अधिकारी द्वारा निम्नलिखित बिन्दुओं का अनिवार्य रूप से ध्यान रखा जाय **(खण्ड शिक्षा अधिकारी द्वारा विकासखण्डान्तर्गत समस्त प्रधानाचार्यों / प्रधानाध्यापक को इस सम्बन्ध से अवगत कराया जायेगा)।** –

1. प्रारूप वही शिक्षक भरेगा जो दिनांक 01–10–2005 से पूर्व जारी विज्ञप्ति के आधार पर नियुक्त हुआ है तथा पुरानी पेंशन से आच्छादित न हो।
2. प्रवक्ता एवं सहायक अध्यापक (एल0टी0) का विवरण पृथक–पृथक प्रारूप पर संकलित किया जाय अर्थात प्रवक्ता संवर्ग में कार्यरत शिक्षकों का विवरण प्रारूप–01 एवं सहायक अध्यापक (एल0टी0) संवर्ग में कार्यरत शिक्षक का विवरण प्रारूप–02 पर भरा जाय।
3. प्रवक्ता (पदोन्नत) पद पर कार्यरत प्रवक्ता द्वारा उसी संवर्ग का प्रारूप पत्र भरा जाय, जिसमें उसकी प्रथम नियुक्ति हुई है अथवा जिसके आधार पर पुरानी पेंशन अपेक्षित है, साथ ही ऐसे सहायक अध्यापक (एल0टी0) जिनकी मृतक आश्रित कोटे के अन्तर्गत नियुक्ति आदेश दिनांक 01 अक्टूबर,

2005 से पूर्व निर्गत हुआ हो, लेकिन उनके द्वारा 01 अक्टूबर, 2005 के पश्चात कार्यभार ग्रहण किया गया है, का विवरण प्रारूप–03 में भरा जाय।

4. अध्यापक द्वारा प्रस्तुत प्रारूप की सूचना एवं साक्ष्यों की जाचं सम्बन्धित प्रधानाचार्य / खण्ड शिक्षा अधिकारी द्वारा की जायेगी तथा सम्बन्धित अध्यापक की सेवा पुस्तिका / व्यक्तिगत पत्रावली का अवलोकन कर यह सुनिश्चित किया जाय कि प्रस्तुत सूचना पूर्णरूप से सही एवं सुस्पष्ट है।
5. निर्धारित प्रारूप के कॉलम संख्या–3, 7 एवं 9 की अंकना नियुक्ति प्राधिकारी **(प्रवक्ता–अपर निदेशक, निदेशालय माध्यमिक शिक्षा / सहायक अध्यापक (एल0टी0)–मण्डलीय अपर निदेशक, मा0शि0, गढ़वाल / कुमाऊँ मण्डल)** द्वारा की जायेगी। प्रारूप में किसी भी कॉलम को कदापि रिक्त न छोड़ा जाय। पुरानी पेंशन के सम्बन्ध में यदि किसी कार्मिक द्वारा मा0 न्यायालय में कोई वाद योजित किया गया है, तो कॉलम संख्या–15 में अनिवार्य रूप से सम्बन्धित याचिका संख्या आदि का उल्लेख किया जाय।
6. प्रारूप की समस्त सूचना Krutidev010 font में अंकित की जाय तथा तिथि की अंकना करते समय /, -, . आदि के स्थान पर Krutidev010 font में –(shift+7) का उपयोग किया जाय (उदाहरणतः 01–10–2005) ताकि सूचना संकलन के समय तिथि की अंकना में परिवर्तन न हो।

अतः उक्त के सम्बन्ध में समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि अपने जनपद से सम्बन्धित सूचना संकलित कर दिनांक 20 अक्टूबर, 2023 तक अनिवार्यतः सम्बन्धित मण्डल एवं निदेशालय, माध्यमिक शिक्षा, देहरादून को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। शिक्षकों द्वारा भरे गये प्रारूप एवं साक्ष्यों को जनपद स्तर पर रक्षित किया जाय। मात्र संकलित सूचना ही निर्धारित प्रारूप पर मण्डल / निदेशालय को हस्ताक्षरित हार्ड एवं साफ्ट कॉपी (email ID- edusewa12@gamail.com) में उपलब्ध कराई जाय। स्मरण रहे सूचना महत्वपूर्ण एवं समयवद्ध है, इसमें किसी भी प्रकार का विलम्ब न किया जाय।

<u>संलग्नक–निर्धारित प्रपत्र।</u>

भवदीय

6/10/23

(महावीर सिंह बिष्ट)
अपर निदेशक
माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड

पृ0सं0 : सेवा–2 / 20833-34 / OPS-2005 / 2023–24 दिनांक– उक्तवत्।

प्रतिलिपि–मण्डलीय अपर निदेशक (मा0शि0), गढ़वाल मण्डल, पौड़ी / कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल को इस आशय के साथ प्रेषित कि जनपदों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना को संकलित कर अनिवार्यतः दिनांक 21 अक्टूबर, 2023 तक हस्ताक्षरित हार्ड एवं साफ्ट कॉपी (email ID- edusewa12@gamail.com) में निदेशालय माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।।

6/10/23

(महावीर सिंह बिष्ट)
अपर निदेशक
माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड